VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS
(योजना पत्रिका विश्लेषण)
(आधारभूत संरचना)
(October 2023)
(Part II)

TOPICS TO BE COVERED

- 'यूनिटी मॉल' परियोजना
- कृषि अवसंरचना
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PMVY)

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

'यूनिटी मॉल' परियोजना:

परिचय:

- यूनिटी मॉल राज्यों में विस्तृत बाजार के रूप में काम करेंगे जिन्हें विशेष रूप से **'एक जिला एक उत्पाद (ODOP)', भौगोलिक संकेत (GI) टैग वाले उत्पादों और स्थानीय स्तर पर बनाये गये हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए तैयार किया** गया है।
- वित्तीय वर्ष **2023-24 के अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश के प्रत्येक राज्य में 'यूनिटी मॉल' की स्थापना की एक उल्लेखनीय पहल की घोषणा** की।

- इन **मॉलों को संबंधित राज्य की राजधानियों में युक्तिपूर्ण स्थापना की कल्पना की गई** है। हालांकि **राज्य का इस परियोजना के लिए अपनी वित्तीय राजधानी या अपने प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता दी गई** है।

'यूनिटी मॉल' की विशेषताएं एवं उद्देश्य:

- यह पहले **पूरे देश में बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने और राज्यों में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता** का एक अभिन्न भाग है।

- **इसके अलावा इसे लाने का उद्देश्य:**
  - ➢ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने,
  - ➢ 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल की प्रगति में तेजी लाने,
  - ➢ स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने,
  - ➢ रोजगार के अवसर पैदा करने,
  - ➢ कौशल विकास की सुविधा देने,
  - ➢ स्थानीय व्यंजनों को प्रोत्साहित करने,
  - ➢ सांस्कृतिक विरासत का प्रचार करने,
  - ➢ पर्यटन को बढ़ावा देने और
  - ➢ अंततः समग्र आर्थिक समृद्धि में योगदान के अवसर प्रदान करने के अनुरूप तैयार किया गया है।
- **राज्य के विभिन्न जिलों के विशेष उत्पादों के समृद्ध पटल को प्रदर्शित करने के लिए हर मॉल में प्रत्येक जिले के लिए एक पृथक दुकान होगी।**
- इसके अतिरिक्त **प्रत्येक यूनिटी मॉल में भारत के हर राज्य की एक दुकान होगी जिससे उनके जीआई उत्पादों, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) वस्तुओं और अन्य प्रमुख क्षेत्रीय उत्पादों की बिक्री संभव हो सकेगी।**

- **‘एक जिला एक उत्पाद (ODOP)’ पहल:**
  - ➢ भारत सरकार की अगुवाई में चल रही **एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल का उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना,** रोजगार की संभावनाएं पैदा करना, आर्थिक असमानताओं को घटाना और भारत के हर जिले में समान क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना है।
  - ➢ अब तक इस पहल के माध्यम से **देश भर में 1100 से अधिक उत्पादों को चिन्हित किया गया है और प्रचारित किया गया** है।
- **भौगोलिक संकेत (GI) टैग:**
  - ➢ भौगोलिक संकेत (जीआई) **किसी उत्पाद के उद्गम देश या स्थान को दर्शाता** है।
  - ➢ एक जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और एक सुस्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र, प्रदेश या राष्ट्र में इसकी उत्पत्ति से जुड़ी अनूठी विशेषताओं का आश्वासन प्रदान करता है।
  - ➢ **जीआई टैग कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पादों को प्रदान किया जा सकता** है।
- **यूनिटी मॉल के लिए वित्तीयन:**
  - ➢ गौरतलब है कि **यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की अच्छी-खासी राशि विशेष रूप से निर्धारित की गई** है।

➢ यह **राशि राज्यों को जिलों की संख्या के आधार पर आवंटित की गई** है।

➢ राज्यों को **मॉल के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध करानी है और वे अपने बजट से परियोजना के लिए अतिरिक्त धन भी आवंटित कर सकते** हैं।

मॉल डिज़ाइन और सुविधाएं:

- भारत सरकार **ने यूनिटी मॉल के निर्माण के संबंध में राज्यों को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं**।
- ये दिशानिर्देश इस बात पर जोर देते हैं कि **इन मॉलों का वास्तुशिल्प डिजाइन भारत की एकता और भव्यता का प्रतीक होना चाहिए**।
- **एकरूपता और सामंजस्यपूर्ण ब्रांडिंग सुनिश्चित** करने के लिए **देश भर में यूनिटी मॉलों को एक मानकीकृत साइनेज डिवाइन का पालन करना आवश्यक** है। **इस साइनेज डिजाइन में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) लोगो और मेक इन इंडिया लोगो शामिल होना** चाहिए।
- **प्रत्येक यूनिटी मॉल में कम से कम 36 वाणिज्यिक स्थान होने चाहिए** जिसमें ओडीओपी उत्पादों की बिक्री और प्रचार के लिए भारत के प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के लिए एक निर्धारित स्थान होना चाहिए।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- इसके अतिरिक्त **प्रत्येक यूनिटी मॉल को राज्य के प्रत्येक जिले के लिए समान आकार के वाणिज्यिक स्थान आवंटित करने चाहिए**।
- आवश्यकतानुसार **वाणिज्यिक स्थानों के विस्तार को समायोजित करने के लिए मॉल के डिज़ाइन में लचीलापन भी शामिल होना चाहिए**।
- यूनिटी मॉल से अपेक्षित है कि उनमें कई आवश्यक विशेषताएं शामिल होंगी जिनमे अपने अपने परिमाणों के अनुरूप **अत्याधुनिक फूड कोर्ट, पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं और मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्थान** आदि है।
- **नेशनल बिल्डिंग कोड मानकों के अनुपालन में सुभीता और पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान** दिया जाना चाहिए।
- **यूनिटी मॉल की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उनका संचालन और रखरखाव सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल** के तहत संरचित किया जाएगा। इस **व्यवस्था में मॉल का स्वामित्व राज्य सरकार के पास रहेगा जबकि संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी एक निजी पार्टी** को सौंपी जाएगी।

मंजूरी प्रक्रिया और कार्यान्वयन की स्थिति:

- **राज्य सरकार अपने यूनिटी मॉल की डीपीआर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डीपीआईआईटी** को प्रस्तुत करते हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- **डीपीआईआईटी ध्यानपूर्वक इन डीपीआर का मूल्यांकन करता** है और बाद में **मंजूरी के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को राज्य के लिए एक राशि को सिफारिश करता है**।
- **राज्य सरकारों ने उत्साहपूर्वक इस अवसर का स्वागत किया** है *और अपने विशिष्ट उत्पादों और हमारे देश को परिभाषित करने वाली समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के लिए यूनिटी मॉल के लिए व्यापक डीपीआर के साथ-साथ आकर्षक डिजाइन तैयार किए* हैं।
- अब तक **यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए 9 राज्यों से डीपीआर प्राप्त हुए हैं**। इनमें से **वित्त मंत्रालय ने 8 राज्यों: असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा** में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए डीपीआईआईटी की सिफारिशों के आधार पर मंजूरी दे दी है। **सिक्किम के प्रस्ताव की फिलहाल डीपीआईआईटी में जांच चल रही** है।

स्वीकृत यूनिटी मॉल की मुख्य विशेषताएं:

- **असम** में यूनिटी मॉल **राज्य की राजधानी गुवाहाटी में बनाये जाने की योजना** है। यह **18259 वर्ग मीटर भूमि में फैला होगा**।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- **छत्तीसगढ़** का यूनिटी **मॉल रायपुर के देवेंद्र नगर में 4 एकड़ भूमि में निर्मित किया जाना है।** *छत्तीसगढ़ के उपनाम "धान का कटोरा" को ध्यान में रखते हुए मॉल को चावल के बीज के समान अंडाकार आकार में कलात्मक रूप से तैयार किया जायेगा* जो राज्य की कृषि प्रचुरता का प्रतीक है।
- **नागालैंड** में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए **दीमापुर हवाई अड्डे के पास चुमुकेदिमा में 3.34 एकड़ भूमि का एक भूखंड अलग रखा** गया है।
- **मध्य प्रदेश** में *उज्जैन में 2.25 लाख वर्ग मीटर में फैले एक यूनिटी मॉल के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है, जिसमें एक प्रतिष्ठित महाकाल - लोक उत्कर्ष स्थल* है। **महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध उज्जैन मशहूर पर्यटन स्थल** है।
- **मेघालय** में **यूनिटी मॉल शिलांग शहर के बाहरी इलाके में** स्थित उभरती हुई प्रशासनिक टाउनशिप न्यू शिलांग में **17 एकड़ के विशाल विस्तार पर निर्मित** होगी।
- **गुजरात** में **यूनिटी मॉल केवडिया में होगा जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मशहूर है।** इसका *डिजाइन 'अशोक चक्र' आकार पर केंद्रित है जिसके केंद्र में प्रतिष्ठित 'अशोक स्तंभ' स्थित* है।

- **त्रिपुरा** सरकार ने राजधानी **अगरतला में 4.18 एकड़ भूमि पर यूनिटी मॉल की योजना का खुलासा किया है।**
- **महाराष्ट्र** में यूनिटी मॉल का निर्माण **नवी मुंबई में 5200 वर्ग मीटर के भूखंड पर किया जाना** है।

निष्कर्ष:

- **पूरे देश में यूनिटी मॉल स्थापित करने की पहल केवडिया, गुजरात में सफल 'एकता मॉल' से प्रेरित** है।
- उल्लेखनीय रूप से **कम समय सीमा में कई राज्यों ने यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए मंजूरी और वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली है।** इस **'अमृत काल' के दौरान हर राज्य में प्रतिष्ठित यूनिटी मॉल के सृजन का गवाह बनने की कगार पर है।**
- **भारत सरकार की यह अनूठी पहल *आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, नागरिकों को मनोरंजन स्थल प्रदान करने, पर्यटन को प्रोत्साहन देने और हमारे विविध और अनूठे राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कीर्तिगान*** *और प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तत्पर है।*

कृषि अवसंरचना:

परिचय:

- वर्ष 2020-21 में कोविड आपदा, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों और खाद्य वहनीयता के कारण **वैश्विक स्तर पर करोड़ों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा की समस्या लेकर आई।**

- हालांकि **भारत सरकार ने देश के कमजोर वर्ग को खाद्य असुरक्षा से बचाने के लिए कई जरूरी उपाय किए।**

भारत में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां:

- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले 80 करोड़ लोगों के लिए** खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराई।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम** के तहत **अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक उपरोक्त अवधि के दौरान** नियमित एनएफएसए के अतिरिक्त केंद्रीय खाद्य भंडार से लगभग **104.3 मिलियन मोट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया** गया।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- भारत ने **2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान प्रति वर्ष औसतन 19.83 मिलियन मोट्रिक टन चावल का निर्यात भी किया** था।
- यह **आज न केवल अपनी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बल्कि विश्व खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने की भारत की क्षमता को दर्शाता है**।

भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन की विकास यात्रा:

- 1950 और 1960 के दशक में ऐसी स्थिति नहीं थी, **उस समय भोजन की कमी एक बड़ी चिंता थी, जिसने भारत की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित** किया।
- भारत ने खाद्यान्न की **इस कमी को नियमित मुख्यतः गेहूं आयात के माध्यम से पूरा किया**। इसे **लोकप्रिय रूप से 'शिप-टू-माउथ' स्थिति भी कहा जाता** था।
- इस समय, **भारत ने गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत के माध्यम से अपनी 'हरित क्रांति' शुरू** की।
- *अनुकूल सरकारी नीति और नई किस्मों को जारी करने तथा कृषि अनुसंधान को सक्षम करने के साथ, किसानों ने इतने कम समय में अत्यधिक सुधार किया* जिसके परिणामस्वरूप **1971-72 में गेहूं का उत्पादन दोगुना से अधिक 26.41**

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

मिलियन मीट्रिक टन हो गया और चावल का उत्पादन 1965-66 के 30.59 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 43.07 मिलियन मीट्रिक टन हो गया।

- भारत ***ने विशेष रूप से वर्ष 2000 के बाद से चावल का निर्यात करना शुरू कर दिया और हाल के वर्षों में वैश्विक चावल निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वह शीर्ष निर्यातक बन*** गया। **यह अधिशेष खाद्यान्न उत्पादन स्वतंत्र भारत की एक बड़ी उपलब्धि है।**

कृषि उत्पादन के रुझान:

- **खाद्यान्न उत्पादन:**
  - ➢ कुल खाद्यान्न उत्पादन **(अनाज और दाले) 1950-51 में 51 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 में 330 मिलियन दन से अधिक हो** गया।
  - ➢ **1950-51 के बाद से खाद्यान्न का उत्पादन 6.5 गुना** और **फलों तथा सब्जियों का उत्पादन 12 गुना बढ़ गया** है, इस प्रकार **राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा पर उल्लेखनीय तथा लाभकारी प्रभाव पड़ा है।**
  - ➢ **अनाजों में, विशेष रूप से चावल और गेहूं का उत्पादन 1950-51 और 2022-23 के बीच कई गुना बढ़ गया** था।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- सिंचाई और बिजली के बुनियादी ढांचे में इस अवधि के दौरान **काफी सुधार हुआ** है, जिससे **फसलों को समय पर आवश्यक नमी की आपूर्ति संभव हो सकी है।**
- इसके अलावा **इसने उन्नत कृषि और अधिक उपज देने वाली किस्मों, उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे आधुनिक आदानों के अनुप्रयोग की सुविधा प्रदान** की।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिक खरीद के कारण भी मूल्य स्थिरता में वृद्धि हुई** थी।

- **मोटे अनाजों का उत्पादन:**
  - **मोटे अनाजों का उत्पादन 2022-23 में बढ़कर 55 मिलियन टन हो गया, जबकि 1950-51 में यह 15.38 मिलियन टन** था।
  - **वर्तमान में मोटे अनाज के उत्पादन का आधा हिस्सा मक्का का है**। इसका उत्पादन पोल्ट्री उद्योग की उच्च मांग के कारण बढ़ गया है।
  - **मोटे अनाजों के पर्यावरण और स्वास्थ्य लाभों को समझते हुए भारत सरकार ने इनकी खेती को काफी अधिक प्रोत्साहन** दिया है।
  - **भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' घोषित किया है।**

- **दालों का उत्पादन:**
  - ➢ भारतीय **आबादी, विशेषकर शाकाहारियों के लिए दालें प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।**
  - ➢ **भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है।**
  - ➢ भारत में उगाई जाने वाली ***कई प्रकार की दालों में से प्रमुख हैं चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर दालों का कुल उत्पादन 1950-51 में 8.4 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 में 27 मिलियन टन हो गया*** है।
  - ➢ चूंकि ***जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप दालों का उत्पादन नहीं बढ़ा है, इसलिए प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1951 में 22.1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से घटकर 2022 में 16.4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हो गई*** है।
  - ➢ ऐसे में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, **भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रमों के** तहत **दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और खरीद में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय** अपनाती रहती है।
- **खाद्य तेलों का उत्पादन:**
  - ➢ **भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।**

- ➢ वित्त वर्ष **2022-23 में आयात निर्भरता कुल आवश्यकता का लगभग 55 प्रतिशत** थी।
- ➢ ***देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2018-19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन (एनएफएसएम-ओएस) योजना के तहत घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा*** है।
- ➢ इसके अलावा, **पाम की खेती** (उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देने के साथ) को बढ़ावा देने के लिए **2021-22 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-पाम ऑयल (एनएमईओ-ओपी) शुरू किया गया** है।
- ➢ इसकी ***खेती का क्षेत्र 2021-22 में 3.70 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 2025-26 में 10.00 लाख हेक्टेयर*** करने का लक्ष्य रखा गया था।

कृषि संसाधन एवं इनपुट:

- **2019-20 में फसलों की बुवाई का शुद्ध क्षेत्र 130.00 मिलियन हेक्टेयर हो गया था, जो 1950 51 में 118.75 मिलियन हेक्टेयर** था। इस प्रकार **इसमें केवल 1.17 गुना बढ़ोतरी हुई। हालांकि इसी अवधि में जनसंख्या वृद्धि 3.8 अधिक** थी।

- *शुद्ध बुआई क्षेत्र में सीमित वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ती आबादी को खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने की चुनौती* ***अधिक उन्नत खेती और अधिक उपज के माध्यम से संभव थी।***
- 1950 के बाद से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फसलों की 6000 से अधिक **किस्में जारी की हैं।**
- **उर्वरकों प्रयोग एवं सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के प्रयास:**
  - ➢ **उर्वरकों** (नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश, या NPK) **का प्रयोग 1950-51 में 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2019-20 में 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर** हो गया है।
  - ➢ इसी ***अवधि में शुद्ध सिंचित क्षेत्र शुद्ध बोए गए प्रतिशत के रूप में क्षेत्रफल 17.55 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 53.30 मिलियन हेक्टेयर हो गया है*** ।
  - ➢ भारत **सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी ने किसानों को बड़ी मात्रा में उर्वरकों को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया** है।
  - ➢ हालांकि **किसान अनुशंसित अनुपात से अधिक नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते** हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि **नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों पर अत्यधिक सब्सिडी दी जाती** है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- सरकार उर्वरकों के **अधिक टिकाऊ और विवेकपूर्ण अनुप्रयोग** के लिए किसानों को **नैनो यूरिया का उपयोग** करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है।
- **सिंचाई के लिए पानी के अधिक टिकाऊ और विवेकपूर्ण** उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ***भारत सरकार 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 'प्रति बूंद अधिक फसल' नामक ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई कार्यक्रम लागू कर रही*** है।
- इसके **अलावा, फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा** है।

मूल्य नीति और बाजार:

- भारत सरकार **कृषि लागत और मूल्य आयोग** की **सिफारिशों के अनुसार, हर साल बुवाई के मौसम से पहले** 23 **वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती** है।
- ***न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीद, विशेषकर चावल और गेहूं की खरीद ने किसानों को मूल्य अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान की*** है।
- **कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के तहत, अधिकांश राज्यों में, कृषि बाजारों को लंबे समय से विनियमित किया गया** है, और **व्यापारियों को मार्केट यार्ड में किसानों से खरीददारी करने की अनुमति** है।

- **राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम):**
  - ➢ आईटी प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के साथ, ***राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) 14 अप्रैल, 2016 को लॉन्च किया गया*** था।
  - ➢ **ई-एनएएम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म** है जो *किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए* ***22 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में 1260 एपीएमसी मंडियों को एकीकृत करता*** है ताकि 203 कृषि और बागवानी वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा मिल सके।
- **समावेशी और किसान-केंद्रित समाधान प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग** जैसी अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (यानी एग्रोस्टेक और कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली) का निर्माण किया जा रहा** है।
- इसमें ***किसानों और अन्य हितधारकों को फसल नियोजन तथा स्वास्थ्य कृषि आदानों तक बेहतर पहुंच, ऋण तथा बीमा, फसल अनुमान, बाजार को जानकारी*** और **कृषि तकनीक उद्योग और स्टार्टअप के विकास के लिए सहयोग के क्षेत्रों में मदद** मिलेगी।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PMVY):

चर्चा में क्यों है?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को **कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए उनके लिए ₹13,000 करोड़ लागत की 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PMVY)' शुरू** की गई है।
- इस योजना के द्वारा **शिल्पकारों को आधुनिक बाजार के लिए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी से लैस किया** जाएगा।

'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PMVY)' क्या है?

- विश्वकर्मा योजना का **उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना** है।
- यह **योजना 2023-24 से 2027-28 तक पांच वित्तीय वर्षों के लिए लागू होगी**।

- इस योजना को **13,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।**

विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है?

- पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत **18 पारंपरिक शिल्पकार शामिल होंगे**: बढ़ई; नाव बनाने वाला; शस्त्रागार; लोहार; हथौड़ा और टूल किट निर्माता; ताला बनाने वाला; सुनार; कुम्हार; मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला; मोची (जूता/जूता कारीगर); राजमिस्त्री (राजमिस्त्री); टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर; गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक); नाई; माला बनाने वाला; धोबी; दर्जी; और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला।

विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कैसे लाभ उठाया जा सकता है?

- इस **योजना के तहत, व्यक्तियों को बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण दोनों के माध्यम से कौशल उन्नयन प्राप्त होगा**।
- यह योजना **₹1 लाख** (पहली किश्त 18 महीने में चुकानी होगी) और **₹2 लाख** (दूसरी किश्त 30 महीने में चुकानी होगी) के **कोलेटरल-मुक्त उद्यम विकास ऋण प्रदान किया जायेगा**।

- **लाभार्थी से 5% की रियायती ब्याज दर ली जाएगी**, जिसमें **सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 8% की ब्याज छूट सीमा का भुगतान किया** जाएगा। **क्रेडिट गारंटी शुल्क केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।**
- योजना के तहत, **बायोमेट्रिक-आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्मा श्रमिकों को मुफ्त में पंजीकृ**त किया जाएगा।
- फिर उन्हें **पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी, बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण से जुडे कौशल उन्नयन, ₹15,000 का टूलकिट प्रोत्साहन।**